FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अदालत बायतु मुकाम

रामसिंह बनाम किशोरसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 10 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/2017	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 RT Act राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/2/2017 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	No 24/1/17
27/02/17	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त/इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 06/03/2017 को पेश हो/ सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/03/17	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त / पीठासीन अधिकारी का उदयपुर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 20/06/17 को पेश हो/ सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

28/06/17

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-
2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत छीतर का पार में
रखी गई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या
1 की ओर से वकील श्री रिड़मलराम सियाग द्वारा
वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया
गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। व प्रति-
वादी संख्या 1 स्वयं किशोरसिंह उपस्थित।
वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में
बांकाराम पुत्र उदाराम जाति-जाट निवासी- [illegible]
छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर
का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। वादी और साक्ष्य पेश
नहीं करना चाहते है। तथा प्रतिवादी वकील भी
साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी व प्रति-
वादी साक्ष्य बन्द किये जाते है। वादी का वाद
संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी
मौजा छीतर का पार में खेत खसरा नम्बर-274
रकबा- 63.06 बीघा व मौजा- नोगामा के
खसरा नम्बर -143 रकबा- 57.16 बीघा पटवार मण्डल
छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर भी
वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के संयुक्त
खातेदारी की पैतृक भूमि चली आई हुई है। वादग्रस्त
भूमि के 1/2 हिस्से पर सेटलमेन्ट के समय वादी-
गण के पूर्वज जैतमालसिंह, गुमानसिंह व भैरूसिंह,
प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज भानसिंह का तथा
1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पूर्वज
उम्मेदसिंह पुत्र दीपसिंह के संयुक्त खातेदारी का
था तथा 1/2 हिस्से पर जैतमालसिंह, भानसिंह,
गुमानसिंह व भैरूसिंह का संयुक्त रूप से कब्जा

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्त होने से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी किया जाना था परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल के कारण वादीगण के पूर्वजों जैतमालसिंह, गुमानसिंह व भैरूसिंह का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कानसिंह के साथ राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं करवाया तथा पर्चा लगान में वादीगण के पूर्वजों का नाम ~~पीछे~~ पीछे छोड़ते हुए 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता कानसिंह के नाम जारी करवा दिया जबकि वादीगण के पूर्वजों के भी वक्त सेटलमेंट के समय संयुक्त रूप से काबिज थे तथा सभी संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से पर निवास करते थे तथा 1/2 हिस्से में 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबा 1/8 हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 के पिता जैतमालसिंह का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के पिता गुमानसिंह का 1/8 हिस्से पर वादी संख्या 4 व 5 के पिता भैरूसिंह का तथा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कानसिंह का खातेदारी का था। इसी अनुसार पक्षकारान का वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करते रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि मौजा छीतर का पार में खेत खसरा नम्बर-274 रकबा-63.06 बीघा व मौजा जोगासर कुंआ में खसरा नम्बर-143 रकबा-57.16 बीघा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व 5 का 1/8 हिस्सा के सहखातेदार	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता॰ अहकाम जो ... हुक्म की तामील में जारी हुए
	घोषित किया जावे का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को औपचारिक पक्षकार बनाये गये जिनसे कोई किसी प्रकार की इमदाद नहीं चाही गई है। हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब तथा वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ-पत्र PW-1 कानाराम पुत्र ऊदाराम जाति-जाट निवासी- छीतर का पार तहसील बायतु का अवलोकन किया है वाद वादग्रस्त आराजी मौजा छीतर का पार में खेत खसरा नम्बर - 274 रकबा - 63.06 बीघा व मौजा जोगासर कुआ में खसरा नम्बर - 143 रकबा - 57.16 बीघा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व 5 का 1/8 हिस्सा की भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/08/17	वादी वकील द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पत्रावली तलब कर निर्णय में संशोधन करने बाबत का प्रस्तुत किया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब की गई। वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया की उक्त वाद का निर्णय न्याय आपके द्वार अभियान-2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत छीतर का पार में दिनांक-28/06/17 को किया गया जिसमें निर्णय लिखते समय विवादित आराजी मौजा-छीतर का पार में खेत खसरा नम्बर-274 रकबा-63.06 बीघा व मौजा जोगासर कुआ में खसरा नम्बर-143 रकबा-57.16 बीघा पटवार मण्डल-छीतर का पार तहसील-बायतु में निर्णय लिखते समय लिपीकिय त्रुटि से वादीगणों को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण संख्या 1 व 2 को 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 को 1/8 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व 5 को 1/8 हिस्सा की भूमि का सहखातेदार घोषित किया गया जबकि उक्त वाद में वादी संख्या 1 को 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 व 3 को 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 4 व 5 को 1/8 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना था का निवेदन किया गया। अतः वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पूर्व में निर्णय दिनांक 28/06/17 में संशोधन कर मौजा छीतर	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	का पार में खसरा नम्बर- 274 रकबा- 63.06 बीघा व मौजा जोगाला कुंआ खसरा नम्बर- 143 रकबा- 57.16 बीघा पश्चात् मण्डल-धीलर का पार तह० जायल में वादीगणों को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण संख्या 1 व 2 को 1/8 हिस्सा, वादी संख्या- 3 को 1/8 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व 5 को 1/8 हिस्सा की भूमि का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जिसके स्थान पर संशोधित कर वादी संख्या 1 को 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 2 व 3 को 1/8 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व 5 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। संशोधित डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली पुन: दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) जायल	

सेवामें, श्री कुमावत/... (हस्तलिखित)